

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO: 103
TO BE ANSWERED ON: 10.02.2022

Data on deaths of tigers in the country

103. SHRI SUSHIL KUMAR MODI:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) details of tiger population in country over the last three years and number of tigers out of their population living in tiger-reserves, State-wise;
- (b) measures taken to increase the population of tigers living in protected reserves, details thereof;
- (c) number of tiger deaths owing to man made causes during the last three years, State-wise alongwith causes that led to tiger deaths;
- (d) whether Government has taken cognisance of rising tiger deaths in country;
- (e) if so, details of measures taken to curb tiger deaths; and
- (f) arrests made during the last three years in relation to tiger poaching after investigations?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a), (b), (c), (d), (e) & (f) :- A statement is laid on the Table of the House.

Q.No. 95 & Q.No. 103 were taken up together.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a), (b), (c), (d), (e) & (f) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 103 ON DATA ON DEATHS OF TIGERS IN THE COUNTRY DUE FOR REPLY ON 10.02.2022

- (a) & (b) Details of tiger estimation pertaining to tiger landscapes in the country, for the year 2018 is at **Annexure-I**. The quadrennial All India Tiger Estimation Exercise which assesses the Status of Tigers, Co-predators and Prey using robust scientific methodology, has shown that the tiger number has increased as per the latest estimation done in 2018, with an estimated number of 2967 (range 2603-3346) as compared to 2014 estimation of 2226 (range 1945-2491). India is the largest tiger range country in the world and has now more than 75% of the global tiger population.
- (c) The average life span of the tigers in the wild is generally 10-12 years and in natural ecosystem factors like old age, diseases, internecine fights, electrocution, snaring, drowning, road, rail hits etc. and a very high infant mortality observed in big cats including tigers accounts for majority of tiger deaths. As reported by States, the details of tiger mortality during last three years is at **Annexure-II**.
- (d) & (e) The Government of India, through the National Tiger Conservation Authority, has advocated a three pronged strategy to manage human-tiger negative interactions as follows:-
- (i) **Material and logistical support:** Funding support through the ongoing Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger, is provided to tiger reserves for acquiring capacity in terms of infrastructure and material, to deal with tigers dispersing out of source areas. These are solicited by tiger reserves through an Annual Plan of Operation (APO) every year which stems out from an overarching Tiger Conservation Plan (TCP), mandated under Section 38 V of the Wildlife (Protection) Act, 1972. *Inter alia*, activities such as payment of ex-gratia and compensation, periodic awareness campaigns to sensitize, guide and advise the general populace on man-animal conflict, dissemination of information through various forms of media, procurement of immobilization equipment, drugs, training and capacity building of forest staff to deal with conflict events are generally solicited.
 - (ii) **Restricting habitat interventions:** Based on the carrying capacity of tigers in a tiger reserve, habitat interventions are restricted through an overarching TCP. In case tiger numbers are at carrying capacity levels, it is advised that habitat interventions should be limited so that there is no excessive spill over of wildlife including tigers thereby minimizing man-animal conflict. Further, in buffer areas around tiger reserves, habitat interventions are restricted such that they are sub-optimal vis-à-vis the core/critical tiger habitat areas, judicious enough to facilitate dispersal to other rich habitat areas only.
 - (iii) **Standard Operating Procedure (SOPs):** The National Tiger Conservation Authority has issued following three SOPs to deal with human-animal conflict, which are available in public domain:
 - i. To deal with emergency arising due to straying of tigers in human dominated landscapes
 - ii. To deal with tiger depredation on livestock
 - iii. For active management towards rehabilitation of tigers from source areas at the landscape level.

The three SOPs *inter alia* include the issue of managing dispersing tigers, managing livestock kills so as to reduce conflict as well as relocating tigers from source areas to areas where density of tiger is low, so that conflict in rich source areas does not occur.

Also as per Tiger Conservation Plans need based and site-specific management interventions are done for improving quality of wildlife habitat for which funding is provided under the ongoing Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger.

The National Tiger Conservation Authority (NTCA) along with the Wildlife Institute of India has published a document “Eco-Friendly measures to mitigate impacts of Linear infrastructure on wildlife”, in letter and spirit of section 38 O (1) (g) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 to safeguard wildlife and tigers from road /rail accidents in interlinking / corridor areas.

32 major tiger corridors in the country have been identified and published in a document titled “Connecting Tiger Populations for Long-term Conservation”, which are operationalized through prescriptions of Tiger Conservation Plans mandated under section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

- (f) The day to day management and implementation of the Wildlife (Protection) Act is done by the States. Information on persons arrested on account of tiger poaching is not collated at Project Tiger Division / National Tiger Conservation Authority level.

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 103 ON DATA ON DEATHS OF TIGERS IN THE COUNTRY DUE FOR REPLY ON 10.02.2022

DETAILS OF TIGER ESTIMATION PERTAINING TO TIGER LANDSCAPES IN THE COUNTRY, FOR THE YEAR 2018

State	2018
<i>Shivalik-Gangetic Plain Landscape Complex</i>	
Uttarakhand	442 (393-491)
Uttar Pradesh	173 (148-198)
Bihar	31 (26-37)
Shivalik Gangetic	646 (567-726)
<i>Central Indian Landscape Complex and Eastern Ghats Landscape Complex</i>	
Andhra Pradesh	48 (40-56) #
Telangana	26 (23-30) #
Chhattisgarh	19 (18-21)
Madhya Pradesh	526 (441-621)
Maharashtra	312 (270-354)
Odisha	28 (26-30)
Rajasthan	69 (62-76)
Jharkhand	5
Central India	1,033(885-1,193)
<i>Western Ghats Landscape Complex</i>	
Karnataka	524 (475-573)
Kerala	190 (166-215)
Tamil Nadu	264 (227-302)
Goa	3
Western Ghats	981 (871-1,093)
<i>North Eastern Hills and Brahmaputra Flood Plains</i>	
Assam	190 (165-215)
Arunachal Pradesh	29*
Mizoram	0
Nagaland	0
Northern West Bengal	0
North East Hills, and Brahmaputra	219 (194-244)
<i>Sunderbans</i>	88 (86-90)
TOTAL	2,967 (2,603-3,346)

* : Scat DNA based estimates were also used.

: For comparison with previous estimates of Andhra Pradesh, combine Andhra Pradesh and Telangana population estimate of current year.

**ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF THE RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 103 ON DATA ON DEATHS OF TIGERS IN THE
COUNTRY DUE FOR REPLY ON 10.02.2022**

Details of tiger mortality during last three years, as reported by States

State	Year 2019	Year 2020	Year 2021
Andhra Pradesh	1	1	1
Arunachal Pradesh	0	0	0
Assam	5	6	6
Bihar	1	1	4
Chhattisgarh	1	1	4
Delhi	0	0	0
Goa	0	4	0
Gujarat	1	0	0
Jharkhand	0	1	0
Karnataka	12	12	15
Kerala	1	10	6
Madhya Pradesh	31	29	42
Maharashtra	18	16	27
Nagaland	0	0	0
Odisha	0	0	0
Rajasthan	3	3	1
Tamil Nadu	7	8	4
Telangana	2	0	4
Uttar Pradesh	4	9	9
Uttarakhand	7	4	3
West Bengal	2	1	1
Total	96	106	127

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *103
10.02.2022 को उत्तर के लिए

देश में बाघों की मौतों संबंधी आंकड़ा

*103. श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बाघों की आबादी का और इनकी कुल आबादी में से बाघ संरक्षित क्षेत्र में रह रहे बाघों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) संरक्षित क्षेत्रों में रह रहे बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मानव निर्मित कारणों से मारे गए बाघों की राज्य-वार संख्या क्या है तथा जिन कारणों से बाघों की मौतें हुई उनका ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने देश में बाघों की मौतों की बढ़ती संख्या का संज्ञान लिया है;
- (ङ) यदि हां, तो बाघों की मौतों को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) विगत तीन वर्षों के दौरान बाघ के अवैध शिकार के संबंध में जांच के पश्चात कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

प्र.सं. 95 और प्र.सं. 103 पर साथ-साथ चर्चा की गई

‘देश में बाघों की मौतों संबंधी आंकड़ों’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *103 के भाग (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) देश में बाघ वासित क्षेत्रों से संबंधित वर्ष 2018 के बाघ अनुमान का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है। चतुवार्षिक अखिल भारतीय बाघ अनुमान प्रक्रिया, जिसके तहत सुदृढ़ वैज्ञानिक कार्यपद्धति का प्रयोग करके बाघों, सह-परभक्षियों और शिकार पशुओं की स्थिति का आकलन किया जाता है, से पता चलता है कि 2967 बाघों की अनुमानित संख्या (2603 से 3346 के बीच) के साथ वर्ष 2018 में किए गए नवीनतम अनुमान के अनुसार 2226 बाघों की अनुमानित संख्या (1945 से 2491 के बीच) के साथ वर्ष 2014 में किए गए आकलन की तुलना में वृद्धि हुई है। भारत, विश्व में सर्वाधिक बाघ बहुलता वाला देश है और अब इसमें विश्व के 75% से अधिक बाघ पाए जाते हैं।

(ग) जंगल में बाघों का औसत जीवन काल आमतौर पर 10-12 वर्ष है और बाघों सहित बिग कैट प्रजाति के जानवरों में वृद्धावस्था, रोग, परस्पर लड़ाई, बिजली का कंरट लगने, जाल में फंसने, पानी में डूब जाने, सड़क, रेल दुर्घटनाओं में घायल होने आदि जैसे प्राकृतिक पारि-तंत्र संबंधी कारकों और शावकों में अत्यधिक मृत्यु दर के कारण अधिकांश बाघों की मौत होती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बाघों की मौतों का ब्यौरा **अनुबंध-11** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से, मानव-बाघ के बीच नकारात्मक संघर्षों को प्रबंधित करने हेतु एक त्रि-आयामी कार्यनीति का समर्थन किया है, जो निम्नवत् है:-

(i) **सामग्री एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग** : वर्तमान में संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - बाघ परियोजना के माध्यम से स्रोत क्षेत्रों से बाहर आने वाले बाघों से निपटने हेतु बाघ रिजर्वों को अवसंरचना और सामग्री की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाघ रिजर्वों द्वारा प्रति वर्ष वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अंतर्गत एक वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से इस वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है। *अन्य बातों के साथ-साथ*, आमतौर पर अनुग्रह राशि और मुआवजे के भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को जागरूक बनाने, उनका मार्गदर्शन करने एवं उन्हें परामर्श देने हेतु आवधिक जागरूकता अभियानों, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से सूचना के प्रसार, स्थिरीकरण उपकरण एवं दवाइयों की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने हेतु वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता की मांग की जाती है।

(ii) **पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित करना** : किसी बाघ रिजर्व में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के माध्यम से पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाता है। बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तरों पर होने के मामले में यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित अन्य वन्यजीवों का अधिक संख्या में पर्यावास से बहिर्गमन न हो सके जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी आएगी। इसके अलावा, बाघ रिजर्वों के आस-पास के बफर क्षेत्रों में पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को इस प्रकार सीमित किया जाता है कि वे प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों की दृष्टि से वांछित स्तर से कम हो और अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों तक ही बाघों के आवागमन में सुविधा प्रदान करने हेतु उचित हो।

(iii) **मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) :** मानव-पशु संघर्ष से निपटने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन एसओपी जारी की हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :

- i. मानव वासित क्षेत्रों में बाघों के भटक जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति से निपटना
- ii. बाघों द्वारा पशुओं पर हमले की घटनाओं से निपटना
- iii. भू-परिदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन करना।

इन तीन मानक प्रचालन क्रियाविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संघर्ष में कमी लाने हेतु पर्यावासों से बाहर आने वाले बाघों को प्रबंधित करने, पशुओं के मारे जाने को प्रबंधित करने के साथ-साथ बाघों को स्रोत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में विस्थापित करना जहां बाघों की संख्या का घनत्व कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो, के मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमलाप किए जाते हैं जिसके लिए विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - बाघ परियोजना के तहत निधि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर आपस में जोड़ने वाले/गलियारा क्षेत्रों में सड़क/रेल दुर्घटनाओं से वन्यजीवों और बाघों की सुरक्षा करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ओ (1) (छ) के अक्षरशः आशय से "वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना के प्रभावों का शमन करने के लिए पारि-हितैषी उपाय" नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V के तहत अधिदेशित बाघ संरक्षण योजनाओं के विनिर्देशों के माध्यम से चलाए जा रहे देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों को अभिज्ञात किया गया है और "दीर्घकालिक संरक्षण हेतु बाघों की आबादी को संबद्ध करना" शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया है।

(च) राज्यों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम का दैनिक रूप से प्रबंधन और कार्यान्वयन किया जाता है। बाघों के अवैध शिकार के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित सूचना, बाघ परियोजना प्रभाग/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नहीं रखी जाती है।

‘देश में बाघों की मौतों संबंधी आंकड़ों’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *103 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018 के लिए देश में बाघ वासित क्षेत्रों से संबंधित बाघ अनुमान का ब्यौरा

राज्य	2018
शिवालिक-गांगेय मैदानी भू-दृश्य परिसर	
उत्तराखंड	442 (393-491)
उत्तर प्रदेश	173 (148-198)
बिहार	31 (26-37)
शिवालिक-गांगेय	646 (567-726)
मध्य भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर	
आंध्र प्रदेश	48 (40-56) #
तेलंगाना	26 (23-30) #
छत्तीसगढ़	19 (18-21)
मध्य प्रदेश	526 (441-621)
महाराष्ट्र	312 (270-354)
ओडिशा	28 (26-30)
राजस्थान	69 (62-76)
झारखंड	5
मध्य भारत	1,033 (885-1,193)
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर	
कर्नाटक	524 (475-573)
केरल	190 (166-215)
तमिलनाडु	264 (227-302)
गोवा	3
पश्चिमी घाट	981 (871-1,093)
पूर्वोत्तर पहाडियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान	
असम	190 (165-215)
अरुणाचल प्रदेश	29*
मिज़ोरम	0
नगालैंड	0
उत्तरी पश्चिम बंगाल	0
पूर्वोत्तर पहाडियां और ब्रह्मपुत्र	219 (194-244)
सुंदरवन	88 (86-90)
कुल	2,967 (2,603-3,346)

* : स्कैट डीएनए आधारित अनुमानों का प्रयोग भी किया गया था।

: आंध्र प्रदेश के गत अनुमान से तुलना करने के लिए वर्तमान वर्ष में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाघों की संख्या के अनुमान को संयुक्त रूप से दिखाया गया है।

‘देश में बाघों की मौतों संबंधी आंकड़ों’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *103 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बाघों की मौतों का ब्यौरा

राज्य	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021
आंध्र प्रदेश	1	1	1
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	5	6	6
बिहार	1	1	4
छत्तीसगढ़	1	1	4
दिल्ली	0	0	0
गोवा	0	4	0
गुजरात	1	0	0
झारखंड	0	1	0
कर्नाटक	12	12	15
केरल	1	10	6
मध्य प्रदेश	31	29	42
महाराष्ट्र	18	16	27
नगालैंड	0	0	0
ओडिशा	0	0	0
राजस्थान	3	3	1
तमिलनाडु	7	8	4
तेलंगाना	2	0	4
उत्तर प्रदेश	4	9	9
उत्तराखंड	7	4	3
पश्चिम बंगाल	2	1	1
कुल	96	106	127

श्री सुशील कुमार मोदी : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में जो आंकड़े दिए हैं, उनमें बताया है कि 2019 में 31 टाइगर्स की डेथ हुई, 2020 में 29 की डेथ हुई और 2021 में 42 टाइगर्स की डेथ हुई। उत्तर में मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स के मरने की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2019 में पूरे देश में 96 टाइगर्स की डेथ हुई थी, 2020 में 106 टाइगर्स की डेथ हुई and that was increased to 127 in the year 2020-21. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि लगातार जो टाइगर्स की डेथ की संख्या बढ़ रही है, क्या इसका कोई खास कारण है?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, टाइगर्स की जो डेथ है, उसके अलग-अलग कारण हैं और इसमें ओल्ड एज एक बड़ा कारण है। टाइगर्स के अंदर आपस में भी जो infighting रहती है, वह भी एक कारण है। कुछ जगह linear projects के कारण... (व्यवधान)... जी हाँ, यह सब जगह है। कुछ जगह पर electrification के कारण भी इनकी डेथ हो जाती है, poaching भी इसका एक कारण है और disease भी एक कारण है। जहाँ तक poaching या linear projects का सवाल है, सरकार के द्वारा उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। जो ओल्ड एज है, वह भी एक कारण है, लेकिन सभी विषयों का मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। इसलिए हमने पूरी संख्या इस प्रश्न के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत की है।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, एनटीसीए की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अनुसार fifty per cent fell prey to poachers. यानी नॉर्मल डेथ तो समझ में आती है, लेकिन 50 परसेन्ट से ज्यादा डेथ्स पोचिंग के कारण हुई हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार क्या प्रयास कर रही है, ताकि पोचिंग से होने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके।

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 2018 की जो एनटीसीए की रिपोर्ट हमने प्रकाशित की, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी दुनिया के सामने टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया था, भारत उन चुनिंदा देशों में है, जिन्होंने अपने यहां इनकी संख्या दोगुनी की है और हमारे यहां टाइगर्स की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन माननीय सदस्य के द्वारा जो पोचिंग का विषय उठाया गया है, उस पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है, उसके संबंध में वह कठोर कदम उठा रहा है और उस संस्था को स्ट्रेन्थन करने के लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। जो एनटीसीए की सालाना बैठक होती है, पिछले महीने ही हमारी गवर्निंग बॉडी की वह बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है जितने भी टाइगर्स रिज़र्व एरियाज़ हैं, वहां के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दी है कि विशेष रूप से पोचिंग को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर और इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जो समस्याएं आती हैं, उसके संबंध में अपनी एक comprehensive report भेजें। हम उस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे।

श्री उपसभापति : माननीय जयराम जी। ...(*Interruptions*)... माननीय सदस्यगण, जहां आपकी सीट एलोकेटेड है, वहां माइक फंक्शन कर रहे हैं, कृपया माइक में बोलिये।

SHRI JAIRAM RAMESH: Mr. Deputy Chairman, Sir, my question relates to Madhya Pradesh. Today, we have a situation where there is a very substantial proportion of tiger population on the outskirts of Bhopal. This is going to create serious man-animal conflict situation. For the last ten years, there has been a proposal to declare the Ratapani Tiger Reserve in and around Bhopal. I would like to ask the hon. Minister whether this proposal is going to receive his serious consideration.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय जयराम जी ने एक बढ़िया प्रश्न उठाया है और एक समस्या की ओर ध्यान भी दिलाया है। यह सच है कि हमारे टाइगर्स की आबादी का एक बड़ा भाग टाइगर रिज़र्व के बाहर भी है और बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, बढ़ते हुए विकास कार्यों के कारण से ह्यूमन-एनिमल कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी है। जिस समस्या की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है, वह हमारे संज्ञान में है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को लिखित में इसके बारे में सूचित भी कर दूंगा।

श्रीमती सम्पतिया उइके : उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और इन दिनों प्रदेश में शेरों की गिनती का कार्य भी चल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच में बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या प्रावधान रखे हैं?

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, ये हमारे वे टाइगर रिज़र्व हैं, जो कि काफी अद्वितीय हैं। इन टाइगर रिज़र्व को इंटरनेशनल accreditation का दर्जा भी मिला है और अभी एनटीसीए ने एक एटलस भी प्रकाशित की है, क्योंकि जो हमारे 52 टाइगर रिज़र्व हैं, वे हमारे देश के ऐसे वन क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे प्योरेस्ट वाटर एरिया भी आता है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि वहां का flora and fauna पूरे तरीके से सुरक्षित रहे।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि टाइगर एक ऐसी प्रजाति है, जो अकेला नहीं रहता, टाइगर के साथ वे सब भी होते हैं, जिन जानवरों का वह शिकार करता है, यानी उसके साथ पूरा habitat रहता है, तभी टाइगर वहां रहता है और प्योरेस्ट वाटर भी वहां रहता है। हम लोगों ने जो एटलस प्रकाशित की है, उसमें भी हमारा यह मानना है कि वहां का flora and fauna और बाकी के जो अन्य जानवर हैं, वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि इन सबके संरक्षण के बीच में टाइगर रहता है। बाघों की गणना का जो काम है, वह पूरी तरह से एक scientific तरीके से चलता है, उसकी प्रक्रिया जारी है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम माननीय सदस्य को भी सूचित करेंगे।

DR. V. SIVADASAN: Sir, man and animal conflict is increasing everywhere in India including Madhya Pradesh. My question is: What are the projects the Government is trying to implement for protecting the human beings in India?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, यह प्रश्न human being के protection का है। सर, हमारा जो Wildlife Protection Act है, उसके अंतर्गत एक provision है कि अगर किसी भी जानवर के बारे में इस प्रकार से आशंका होती है कि वह खतरा पहुंचाता है - मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का प्रश्न tiger के बारे में कम और केरल में जंगली सुअर अर्थात् boars के बारे में ज्यादा है, जो कि केरल में एक समस्या है। हम उसके लिए इस फरवरी में स्टेट के सारे PCCFs को गाइडलाइन्स भी जारी कर चुके हैं और गाइडलाइन्स में उनको provision भी है, केरल में 11 बार उसका प्रयोग भी किया जा चुका है, इसलिए केरल के Wildlife warden ही उस संबंध में Wildlife Act के अंतर्गत competent हैं और वे एक्शन ले सकते हैं।

श्री उपसभापति : क्वेश्चन नं. 96, माननीय श्री बिनोय विस्वम जी एवं क्वेश्चन नं.101, श्री संजय राउत जी के प्रश्न similar nature के हैं, 'Measures to prevent declining forest cover in States' हम ये दोनों प्रश्न साथ ले रहे हैं।